मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक/ई-फाईल 612479/2026/नियम/चार भोपाल, दिनांक 15/06/2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः 79वें वर्ष पूर्ण करने एवं 80वें वर्ष प्रारंभ होने के प्रथम दिवस से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भुगतान के प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

संदर्भः 1. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी क्रमांक 22860/2025 म०प्र० शासन एवं अन्य विरुद्ध श्री राधारमण बोहरे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21/7/2025

2. WA-2777/2025 सहित अन्य रिट अपील WA 2249/2025, WA 2118/2025, WA 2283/2025, WA 2284/2025, WA 2589/2025 एवं WA 2755/2025 माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा पारित समेकित आदेश दिनांक 16.01.2026.

-00-

1/ म.प्र.शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ - 9/2/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 03.08.2009 के बिन्दु 1.3 के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ, पेंशनर जिस माह निर्धारित आयु पूर्ण करेंगे, उस माह के आगामी माह से प्राप्त होगा। उक्त का आशय है कि निर्धारित आयु 80 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् आगामी माह से अतिरिक्त पेंशन का लाभ देय होगा। इस संबंध में म.प्र.शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9/2/2009/ नियम/चार दिनांक 21.02.2025 द्वारा स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है, जो कि स्वमेव सुस्पष्ट होकर प्रवृत्त है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में दायर रिट पिटीशन प्रकरण क्रमांक 13808/2022 श्री राधारमण बोहरे विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01/08/2023 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर में दायर रिट अपील प्रकरण क्रमांक-3065/2024 म०प्र० शासन एवं अन्य विरुद्ध श्री राधारमण बोहरे में पारित आदेश दिनांक 23/01/2025 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका डायरी क्रमांक 22860/2025 दायर की गई है जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के संदर्भित आदेश दिनांक 21/07/2025 द्वारा प्रकरण के

निराकरण होने तक क्रियान्वयन स्थगित रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। पारित आदेश दिनांक 21/07/2025 निम्नानुसार है:-

1. Issue notice on the application seeking condonation of delay as well as on the Special Leave Petition.

2. There shall be stay of the order impugned, till disposal of the Special Leave Petition.

3/ समरूप प्रकृति के अन्य प्रकरण WP-13544/2024 शंकरलाल शर्मा में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य द्वारा दायर रिट अपील WA-2777/2025 सहित अन्य रिट अपील WA 2249/2025, WA 2118/2025, WA 2283/2025, WA 2284/2025, WA 2589/2025 एवं WA 2755/2025 माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा पारित समेकित आदेश दिनांक 16.01.2026 में निम्नानुसार लेख है:

"Therefore, the writ court has wrongly granted the additional pension @ 20% only upon entering into the 80th year of age, i.e., before completion of 80 years. If this logic is applied in the case of retirement, then the employee/officers would be retired before even attaining the age of superannuation. Therefore, it can safely be held that the additional pension @ 20% and 30% are liable to be paid only after completion of 80 years and 85 years of age, not before. Hence, these writ appeals are allowed, and order passed by the writ court are set aside, and writ petitions are dismissed.

4/ समप्रकृति के प्रकरणों में कृपया उपरोक्तानुसार आपके अधिनस्थ कार्योलयों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का अनुरोध है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Manish Rastogi
Date: 14-06-2026
16:20:47

(मनीष रस्तोगी)

अपर मुख्य सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक/ ई-फाईल 612479/2026/नियम/चार भोपाल, दिनांक 15/06/2026

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
4. निज सचिव / निज सहायक मान. मंत्री / राज्यमंत्री , मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
6. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, भोपाल।

7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल।
8. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. सचिव, राज्य निर्वाचनआयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. महाधिवक्ता /उप महाधिवक्ता , मध्यप्रदेश, जबलपुर / इन्दौर /ग्वालियर।
14. महालेखाकार (लेखा एवं हकदार / आडिट)1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर / भोपाल।
15. सचिव / संचालक बजट / अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी, बजट शाखा (समस्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
16. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
20. समस्त कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी।
21. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.mp.gov.in. पर अपलोड करने हेतु।
22. गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Digitally signed by
Abhishek Chohan
Date: 15-06-2026
15:16:09

(अभिषेक चौहान)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग